ऑन लाईन नं. RCMS 2025/103

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 25 / 2025

1. रिछपाल पुत्र श्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी रोहिड़वाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. मांगीराम पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार राजस्व, मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर जिसकी रूह से स्व. फूसाराम पुत्र चोथाराम की कथित वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या1 के नाम से इन्तकाल दर्ज करने का आदेश गलत व एक तरफा तौर से बिना अधिकार के दिनांक 22.03.1990 , प्रकरण संख्या 86 / 1990 में पारित किया गया, बमुराद मनसुखिया है।

उपस्थित :

1. श्री बलराम स्वामी अधिवक्ता अपीलार्थी
2. रेस्पोडेन्ट संख्या –01 अनुपस्थित
3. श्री गुरजीत सिंह वानर राजकीय अधिवक्ता

:: आदेश :: दिनांक :– 10.02.2026

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

1. यह कि अपीलकृत इन्तकाल दिनांक 22.03.1990 को तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा किया गया पूर्णतया विधि विरूद्व है जो अपास्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न है।
2. यह कि अपीलान्ट फूसाराम पुत्र चोथाराम के नाम से मुरब्बा नम्बर 37 कुल आराजी 11 बीघा 10 बिस्वा नहरी वाके चक 6 एच बड़ा तहसील मिर्जेवाला के नाम से बतौर माफी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में थी। फूसाराम के मुंह में केन्सर थी जो बहुत ज्यादा बीमार था और वो बोलने व चलने में अस्मर्थ था जिसको कोई सुध बुध नहीं थी उक्त वसीयत फर्जी आदमी खड़ा करके तैयार की गई है। फूसाराम के देहान्त होने से पूर्व फूसाराम ने अपनी आराजी की वसीयत अपने पोते मांगीराम पुत्र बुध राम व पुत्र शंकर लाल पुत्र फूसाराम बहिस्सा बराबर वसीयत की गई। इस वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अकेले अपने

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

नाम से 6 बीघा आराजी की वसीयत के आधार पर अपीलकृत इन्तकाल दिनांक 22.03.1990 को अपने नाम से करवा लिया जबकि वास्तविक रूप से फूसाराम को जो आराजी आवंटन हुई थी वह आराजी बतौर माफी आराजी थी , इस माफी आराजी की वसीयत करने का अधिकार फूसाराम को नहीं था, इसलिए कथित वसीयत फर्जी व झूठी होने के कारण प्रारम्भिक रूप से शून्य एवं प्रभावहीन होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या–1 कथित वसीयत के आधार पर वर्णित आराजी अपने नाम से करवाई वह पूर्णतया विधि विरूद्व व खिलाफ कानूनी है।

3. यह कि अपीलांट बुधराम का पुत्र है, इसलिए कथित वसीयत को चुनौती देने का अधिकार रखता है, इसलिए अपीलकृत इन्तकाल दिनांक 22.03.1990 को जो वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अपने नाम से करवाया वह पूर्णतया प्रभावहीन व शून्य है इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जिस दस्तावेज के आधार पर वसीयत दिनांक 22.03.1990 को तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपीलकृत इन्तकाल दर्ज किया गया वह पूर्णतया विधि विरूद्व खिलाफ कानून है क्योंकि फूसाराम को वसीयत करने का कतई अधिकार नहीं था, आराजी माफी की थी इसलिए विधि अनुसार फूसाराम के मरने के उपरान्त उसके उत्तराधिकारी के नाम से इन्तकाल दर्ज होना था , इस कानूनी बिन्दू को ध्यान में न रखते हुए अपीलकृत इन्तकाल पारित किया गया , पूर्णतया प्रभावहीन व शून्य है।

4. यह कि अपीलांट को बिना सुने, बिना नोटिस दिये अपीलकृत इन्तकाल पारित किया गया है, अपीलांट को इस इन्तकाल का ज्ञान नहीं था। आज से 5 दिन पूर्व अपीलांट को इन्तकाल दर्ज होने का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ है जिस पर अपीलांट ने नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 19.02.2024 को नकल प्राप्त की, इसलिए अपीलान्ट बिना देरी के अपील पेश कर रहा है, इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जावें।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलकृत तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा दर्ज किया गया इन्तकाल दिनांक 22.03.1990 को निरस्त किया जावें और अपीलान्ट के नाम से उत्तराधिकार के आधार पर विरासतन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या–1 को जरिये रजि0 सम्मन तलब किया गया। रजि0 सम्मन दिये जाने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या–1 उपस्थित नहीं।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट फूसाराम पुत्र चोथाराम के नाम से मुरब्बा नम्बर 37 कुल आराजी 11 बीघा 10 बिस्वा नहरी वाके चक 6 एच बड़ा उप–तहसील मिर्जेवाला के नाम से बतौर माफी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में थी। फूसाराम के देहान्त होने से पूर्व फूसाराम ने अपनी आराजी की वसीयत अपने पोते मांगीराम पुत्र बुध राम व पुत्र शंकर लाल पुत्र फूसाराम बहिस्सा बराबर वसीयत की गई। इस वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अकेले अपने नाम से 6 बीघा आराजी की वसीयत के आधार

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पर अपीलकृत इन्तकाल दिनांक 22.03.1990 को अपने नाम से करवा लिया जबकि वास्तविक रूप से फूसाराम को जो आराजी आवंटन हुई थी वह आराजी बतौर माफी आराजी थी, इसलिए विधि अनुसार फूसाराम के मरने के उपरान्त उसके उत्तराधिकारीयों के नाम से इन्तकाल दर्ज होना था। माफी आराजी भूमि की वसीयत करने का अधिकार फूसाराम को नहीं था इसलिए उक्त वसीयत फर्जी व झूठी होने के कारण प्रारम्भिक रूप से शून्य एवं प्रभावहीन होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा विविदित भूमि अपने नाम से करवाई वह पूर्णतया विधि विरूद्व व खिलाफ कानूनी है। अपीलांट बुधराम का पुत्र है, इसलिए कथित वसीयत को चुनौती देने का अधिकार रखता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलकृत इन्तकाल दिनांक 22.03.1990 को निरस्त किया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा इन्तकाल संख्या 86 दिनांक 22.03.1990, स्वीकृत दिनांक 16.06.1990 को रजि0 वसीयत के आधार पर स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी को अगर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर के उक्त आदेश से कोई आपत्ति है तो उसे वसीयत को सिविल न्यायालय से खारिज करवाया जाना चाहिए। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील तहसीलदार श्रीगंगानगर के इन्तकाल संख्या 86 दिनांक 22.03.1990 के विरूद्व पेश की है जो मियाद बाहर है। अपील मियाद बाहर होने के कारण स्वतः ही निष्प्रभावी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायलय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा इन्तकाल संख्या 86 दिनांक 22.03.1990, स्वीकृत दिनांक 16.06.1990 को रजि0 वसीयत के आधार पर स्वीकृत किया गया है जो विधि के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किया गया जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। जहां तक वसीयत सही है या नहीं ? के सम्बन्ध में निर्णय करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है क्योंकि वसीयत सही है या गलत का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वसीयत प्रकरण का निस्तारण विधि के प्रावधानों अनुसार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा इन्तकाल संख्या 86 दिनांक 22.03.1990, स्वीकृत दिनांक 16.06.1990 में कोई वैधानिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति. जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner